

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 11/2024

दिनांक 03/12/2024

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्या:वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांक:जून 04,2020 व पत्र संख्या:41/6-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 03.12.2024 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना बरेसर पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण व 01 नफर अभियुक्त वारंटी को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक- 03.12.2024 थानाध्यक्ष बरेसर मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0- 171/21 धारा- 323,504,506,308 भादवि व 3(1)द,3(1)घ एससी एसटी एक्ट थाना बरेसर गाजीपुर व मु0अ0सं0 – 46/24 धारा- 323,504,506 भादवि थाना बरेसर गाजीपुर तथा फौ0वाद सं0 206/06 धारा 323,504 भादवि से संबंधित अभियुक्तगण/अभियुक्त जो काफी दिनों से फरार चल रहे थे, के घर पर दबिश दी गयी तो वारण्टी अपने घर पर मौजूद मिले । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण/अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण/अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1.हरिओम पुत्र कान्ता जायसवाल नि0 ग्राम चकजैनब थाना बरेसर गाजीपुर
- 2 .सियाराम पुत्र रामदहिन उम्र करीब 50 वर्ष नि0 ग्राम चौथी बांध थाना बरेसर गाजीपुर
- 3 . आशा देवी पत्नी सियाराम उम्र करीब 48 वर्ष नि0 ग्राम चौथी बांध थाना बरेसर गाजीपुर

आपराधिक इतिहास

- 1.हरिओम पुत्र कान्ता जायसवाल नि0 ग्राम चकजैनब थाना बरेसर गाजीपुर
मु0अ0सं0- 171/21 धारा- 323,504,506,308 भादवि व 3(1)द,3(1)घ एससीएसटी एक्ट
मु0अ0सं0 – 46/24 धारा- 323,504,506 भादवि
- 2.सियाराम पुत्र रामदहिन उम्र करीब 50 वर्ष नि0 ग्राम चौथी बांध थाना बरेसर गाजीपुर
फौ0वाद सं0 206/06 धारा 323,504 IPC थाना बरेसर जनपद गाजीपुर
- 3 .आशा देवी पत्नी सियाराम उम्र करीब 48 वर्ष नि0 ग्राम चौथी बांध थाना बरेसर गाजीपुर
फौ0वाद सं0 206/06 धारा 323,504 IPC थाना बरेसर जनपद गाजीपुर

2. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 अदद कटर मशीन के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 16.10.2024 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 535/2024 धारा 406 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त सुबेदार यादव पुत्र मोती यादव निवासी ग्राम गंगौली (करमूपुर) थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर उम्र 39 वर्ष को डिलिया (शेखपुर नहर पटरी) थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया । जिसके पास से एक पुराने झोले में लाल रंग का कटर मशीन बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर उक्त मुकदमे में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सुबेदार यादव पुत्र मोती यादव निवासी ग्राम गंगौली (करमूपुर) थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर उम्र 39 वर्ष बरामदगी-

1.कटर मशीन जिसपर अंग्रेजी में auto power ap-cms gold marble cutter 220v/50hz 1650w का लेबल चिपका है ।

आपराधिक इतिहास -

1 .मु0अ0सं0 535/2024 धारा 406,411 भादवि थाना कोतवाली गाजीपुर ।

2. मु0अ0सं0 170/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली गाजीपुर ।

3 .मु0अ0सं0 57/2023 धारा 406 भादवि थाना बरेसर जनपद गाजीपुर ।

4. मु0अ0सं0 129/2019 धारा 406 भादवि थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर ।

3. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को किया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद गाजीपुर द्वारा जारी एन0बी0डब्लू0/ वारण्टी फौ0मु0सं0 1082/1998 राज्य प्रति दशरथ साव बनाम संतोष कुमार अन्तर्गत धारा 7/16 पी0एफ0 एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित वारण्टी संतोष कुमार पुत्र स्व0 सीताराम निवासी चीतनाथ थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 48 वर्ष को आज दिनांक 03.12.2024 को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1 .संतोष कुमार पुत्र स्व0 सीताराम निवासी चीतनाथ थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 48 वर्ष ।

4. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 427/2024 धारा-140(1),127(2),3(5),115(2),352,351(3)

बीएनएस से संबंधित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.12.2024 को प्रभारी निरीक्षक दीन दयाल पाण्डेय मय हमराह द्वारा दिनांक 05.09.2024 को UP 61BF9444 से स्कार्पियो सवार अभियुक्तगण द्वारा वादी को दुकान से जबरजस्ती जान से मारने की नियत से अपहरण कर स्कार्पियो में बैठा लेना और बैठाने के बाद माँ बहन की गाली देते हुए मारना पीटना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 427/2024 धारा-140(1),127(2),3(5),115(2),352,351(3) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त अभिषेक बिन्द पुत्र स्व0 गिरीश बिन्द निवासी नौकापुरा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 30 वर्ष को फुल्लनपुर रेलवे क्रासिंग थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-

01 .अभिषेक बिन्द पुत्र स्व0 गिरीश बिन्द निवासी नौकापुरा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 30 वर्ष

आपराधिक इतिहास -

1 . मु0अ0सं0 427/24 धारा 140(1) 127(2),3(5),115(2),352,351(3) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

2 . मु0अ0सं0 224/24 धारा 308,323,504,506 भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

3 . मु0अ0सं0 596/23 धारा 323,504,325 भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

4 . मु0अ0सं0 1430/17 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

5 . मु0अ0सं0 1776/17 धारा 457,380,411 भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

6 . मु0अ0सं0 1878/17 धारा 457,380,411 भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

5. थाना दुल्लहपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 175/24 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/105 बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 03.12.2024 को थानाध्यक्ष दुल्लहपुर श्री कृष्ण प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 175/24 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/105 बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त नीरज चौहान पुत्र रामलखन उर्फ लख्खू चौहान ग्राम खुटहा थाना दुल्लहपुर को दुल्लहपुर रेलवे स्टेशन के सामने मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता अभियुक्त -

01 . नीरज चौहान पुत्र रामलखन उर्फ लख्खू चौहान ग्राम खुटहा थाना दुल्लहपुर जिला गाजीपुर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 175/24 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/105 बीएनएस थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर